72

कोर्ट फी COURT FEE 10 रु. Rs.10 INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक -----/2012 निगरानी – 2224-I/12

निगरानीकर्ता

आशाराम पुत्र श्री नादरी जाटव निवासी नोरासही परगना मेहगॉव जिला भिण्ड

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण

1. शंकरलाल पुत्र श्री छोटेलाट जाटव
2. अमरसिंह पुत्र श्री छोटेलाल जाटव

निवासीगण नोरासही परगना मेहगॉव जिला भिण्ड

श्री ...... द्वारा आज दि. 17-7-12 को प्रस्तुत
17-7-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 13.4.2012 जो न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना श्री एच पी सिंह सलूजा, द्वारा प्रकरण कमांक 25/10–11–अपील में पारित किया है जो न्यायलय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा अपील कमांक 9/2003–04 में दिनांक 23.12.2006 को पारित किया गया आदेश को निरस्त कर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव द्वारा प्रकरण कमांक 46/2003–04/अ–5 मे पारित आदेश दिनांक 24.1.2004 को कनफर्म किया गया है, से उत्पन्न हुआ है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. यहकि, अनावेदकगण ने भूमि सर्वे कमांक 307 एवं 315 का जिसका बन्दोबस्त कमांक 289 रकबा 0.960 हेक्टेयर को बन्दोबस्त की त्रुटि को सही करने के लिये धारा 89 के अन्तर्गत आवेदनपत्र अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष पेश किया जिसमें आदेश दिनांक 24.1.2004 द्वारा स्वीकार करते हुए सर्वे कमांक 307 रकबा 098 हेक्टेयर पर चरनोई दर्ज करने एंव सर्वे क्रमांक 315 रकबा 1.52 हेक्टेयर के बटा कायम करते हुए सर्वे कमांक 315/1 रकबा 0.54 हेक्टेयर चरनोई दर्ज करने एवं सर्वे कमांक 315/2 रकबा 0.98 हेक्टेयर पर चरनोई के स्थान पर अनावेदकगण शंकर लाल अमरसिंह का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये।

XXXIX(a)-BR(H)-11

अशफाक / शंकरलाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2224/I/12 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.4.18	आवेदक अभिभाषक अनु० डी० अनवरत दिनांक 6.9.16 से अनुपस्थित हो रहे हैं। आज भी न्यायालय द्वारा तीन-2 बार आवाज लगवाई गई परन्तु कोई उप० नहीं। अतः उक्त स्थिति में अदम पैरवी में प्रकरण समाप्त किया जाता है। अभिलेख दाखिल हो। (हस्ताक्षर)	

[कृ. प. उ.